Title: Need for effective implementation of child labour laws in the country- Laid.

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश के विभिन्न खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे बाल-श्रमिकों की तरफ आकर्ति करना चाहता हूँ। देश के विभिन्न गांवों तथा शहरों में करोड़ों की संख्या में बालःश्रमिक विभिन्न खतरनाक उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु में माचिस व पटाखा उद्योग, रस्सी उद्योग, कर्नाटक में अगरबत्ती उद्योग, उत्तर प्रदेश में कांच-चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ में ताला उद्योग, भदोई में कालीन उद्योग, वाराणसी में ज़री कार्य उद्योग, मुरादाबाद में पीतल बर्तन उद्योग, खुर्जा में चीनी-मिट्टी बर्तन उद्योग, आगरा व कानपुर में चमड़ा उद्योग, आंध्र प्रदेश व बिहार में बीड़ी उद्योग, जयपुर में कालीन उद्योग इत्यादि। इसके अलावा पापड़ बेलने, अचार बनाने, कपड़े सिलने, कागज़ की थैलियां बनाने, पैकिंग करने आदि में बाल-बालिका श्रमिक काम कर रहे हैं। महोदय, इन बाल-श्रमिकों की हालत इतनी खराब है कि जीवन की अति आवश्यक सुविधाओं से इन्हें वंचित किया जा रहा है। इन बाल-श्रमिकों के लिए न तो शिक्षा की व्यवस्था है और न ही उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाल-श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा इनके गरीब माता-पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है, उसे समाप्त करने के लिए वर्तमान कानून का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाए।